IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

हमारा प्रयास
आपका आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-21 में एम.एस.एम.ई. (MSME) योजना के अन्तर्गत गैर प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रकार के भूखण्डों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

आदर्श पंजीकरण पुस्तिका

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि

13.02.2026 - 13.03.2026

Toll Free No:- 18001805333 जन सुविधा केन्द्रः- 0522-2236803

UPHDBHQ www.upavp.in info@upavp.com

एक परिचय

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

परियोजना से सम्बन्धित घोषणायें

- परियोजना स्थल उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचाालित सेक्टर–21 मण्डोला विहार योजना, जनपद गाजियाबाद हेतु विधिवत अधिग्रहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

योजना के विशेष आकर्षण

- मण्डोला विहार योजना दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) के दोनों तरफ।
- भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत संचालित अक्षरधाम (दिल्ली) से देहरादून 6 लेन एलिवेटेड रोड का एन्ट्री एवं एक्जिट मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रस्तावित है।
- अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई0एस0बी0टी0) कश्मीरी गेट से दूरी 15 कि0मी0
- शिव विहार मैट्रो स्टेशन से दूरी 9 कि0मी0
- इस्टर्न पैरिफिरेयल एक्सप्रेस वे से दूरी 8 कि0मी0
- दिल्ली की सीमा से दूरी मात्र 4 कि0मी0
- लोनी रेलवे स्टेशन से दूरी मात्र 8 कि0मी0
- ट्रोनिका सिटी से निकट

विशेष नोट–

1. औद्योगिक भूखण्डों के पंजीकरण हेतु भूखण्ड के मूल्य की 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि सामान्य वर्ग हेतु एवं 5 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि आरक्षित वर्ग हेतु जमा करनी होगी।

2. आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से औद्योगिक भूखण्ड की 50 प्रतिशत धनराशि, जिसमें पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुये, 1 वर्ष में 4 त्रैमासिक किश्तों में जमा करायी जानी होगी।

3. भूखण्ड के मूल्य की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 11 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 छमाही किश्तों मे देय होगी। किसी भी दशा में सम्पूर्ण भुगतान 6 वर्ष की अवधि में जमा करायी जानी होगी व किसी भी किश्त की धनराशि विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में 11 प्रतिशत के साथ–साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

4. भूखण्डों की दरों में आवासीय दर का डेढ़ गुना मूल्य लिया गया है तथा भूखण्डों की स्थिति के अनुरूप पी०एल०सी० (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भूखण्ड में कार्नर, पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट दोनों सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं, तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक देय होगा। उसके अतिरिक्त भूखण्ड के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

5. योजना में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भूखण्डों की स्थिति में वास्तविक माप के आधार पर क्षेत्रफल में परिवर्तन एवं भूमिदर में वृद्धि होने की दशा में भूखण्डों के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधित किया जायेगा।

6. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं अन्य कर अलग से देय होगें।

2–प्राविधान/शर्ते

1. भूखण्डों का विक्रय विलेख तभी निष्पादित किया जाएगा जब भूखण्ड के समस्त देयको का भुगतान हो गया हो तथा इकाई स्थापित हो जाए और परिषद संतुष्ट हो जाये कि उसमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ।
2. आवेदक को आवंटन पत्र, अनुज्ञप्ति अनुबन्ध तथा परिषद द्वारा समय–समय पर लगायी गयी अन्य शर्तो का पालन करना होगा।
3. कब्जे की तिथि से 05 वर्ष की समय अवधि में MSME इकाई की स्थापना पूर्ण करनी होगी और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अन्यथा की स्थिति में भूखण्ड के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत समयवृद्धि शुल्क प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम अगले 05 वर्ष तक देय होगा। यदि उक्त अवधि में भी पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है तो पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
4. आवंटी को अनुबन्ध/विक्रय विलेख आदि के निष्पादन के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क, निबन्धन शुल्क तथा विधिक व्यय का भार नियमानुसार वहन करना होगा।
5. आवंटी द्वारा बिना परिषद की लिखित सहमति/स्वीकृति मानचित्र के बिना संवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
6. आंवटी को अपनी इकाई के उत्प्रवाहों के विसर्जन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए उसे प्रदेशीय उत्प्रवाह परिषद/उ0प्र0 के प्रदूषण नियंत्रण परिषद/सक्षम प्राधिकारी की शर्तें मान्य होगी। यदि इकाई का उत्प्रवाह आस–पास के लोगों के लिए अहितकर या खतरनाक सिद्ध हुआ, तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटी को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7. परिषद द्वारा उपरोक्त योजना का एनवायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट (E.I.A.) प्राप्त किया जायेगा, जिसका अनुपालन आवंटियों द्वारा किया जायेगा। अन्यथा की दशा में लगने वाला दण्ड/पेनाल्टी का भार सम्बन्धित से वसूला जायेगा।
8. आवंटी को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसकी प्रस्तावित परियोजना प्रदूषणमुक्त है, एवं उससे कोई दूषित जल/द्रव्य निस्तारण नहीं होगा।
9. भूखण्ड का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदत्त करने की तिथि से नगर निगम को हस्तगत होने तक अनुरक्षण कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए आवंटियों से परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क कब्जे की तिथि से देय होगा।
10. भूखण्डों के आवंटन/कब्जा से 90 दिन की अवधि के पश्चात आवंटीगणों को एक औद्योगिक वेलफेयर समिति बनानी होगी। प्रत्येक आवंटी को सदस्य बनाना बाध्यकारी होगा।
11. भूखण्ड के कब्जे की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात अनुरक्षण कार्य औद्योगिक वेलफेयर समिति द्वारा कराया जायेगा।
12. 03 वर्ष में परियोजना पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अपरिहार्य स्थिति में परियोजना अवधि की समय–सीमा बढ़ने की दशा में परिषद पर कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी०एस०टी०, गृहकर, जल कर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
14. भूखण्ड पर किसी भी प्रकार के अतिदेयों/मामले के न्यायालय में विचाराधीन होने/आवंटन पत्र/अनुबन्ध/विक्रय विलेख की शर्तो के उल्लंघन की अवस्था में कोई भी सुविधा/सेवा अनुमन्य नहीं होगी और न ही दी जायेगी।
15. प्रश्नगत भूखण्डों का एफ0ए0आर0 1.5 तथा कवरेज 60 प्रतिशत अनुमन्य होगा। अतिरिक्त एफ0ए0आर0 बाद में क्रय किया जा सकता है।

3–पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
3.2 आवेदन जमा करनें की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष से कम न हो।
3.3 आवेदक संस्था होने की स्थिति में भारत में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3.4 मात्र गैर प्रदूषणकारी (नॉन पोल्यूटिंग एवं नॉन लिक्विड डिस्चार्जिंग) परियोजना ही उक्त भूखण्डों हेतु पात्र होंगी।
3.5 आवेदक/संस्था का MSME श्रेणी में संबंधित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
3.6 आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही अनुमन्य होगा।
3.7 आवेदक संस्था होने की स्थिति में आरक्षण देय नहीं होगा।

4–ऑनलाइन पंजीकरण कराने की प्रकिया/नियम

4.1 ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in के मुख पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plots/Houses/Flats" पर क्लिक करेंगे।

4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।

4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा।

4.4 पंजीकरण व्यक्ति एवं संस्था के नाम से किया जा सकता है किन्तु संस्था को आरक्षण देय नहीं होगा।

4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक/संस्था पात्रता चयन हेतु लॉटरी ड्रॉ की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

4.6 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रा में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत मांग पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। पात्रता/नम्बरिंग ड्रा में चयनित होने की तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त सम्पत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर ब्याज रहित पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटी को निरस्तीकरण से 45 दिन में एवं शेष 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुर्नआवंटन अथवा 1 वर्ष में से जो भी पहले हो के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

4.8 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को भली–भाँति अध्ययन अवश्य कर लें, जिससे आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी संस्था/आवेदक मात्र एक ही आवेदन कर सकता है।

5–भुगतान का तरीका

5.1 आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से औद्योगिक भूखण्ड की 50 प्रतिशत धनराशि (पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये) 4 त्रैमासिक किश्तों में 1 वर्ष में जमा करायी जानी होगी। अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्ति के निस्तारण सम्बन्धी विनियम–2016 के प्राविधान के अनुसार 11 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आगामी 5 वर्षों में 10 छमाही किश्तों में जमा करायी जानी होगी। किसी भी किश्त को समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु प्रदेशन पत्र में अंकित ब्याज दर के साथ–साथ 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।

5.2 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से सम्पूर्ण धनराशि 60 दिन के अन्दर एकमुश्त जमा करने पर 05 प्रतिशत की छूट देय होगी। समस्त धनराशि परिषद वेबसाईट UPAVP.in पर Login कर अथवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशिका के अनुसार भुगतान किया जाना होगा ।

5.3 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एक मुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है, तो इस प्रकार की अनुमति सक्षम स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एक मुश्त जमा किया जा सकता है। उस समय देय अवशेष मूलधन में से 02 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।

5.4 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र/प्रदेशन पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही ऑनलाईन के माध्यम से किया जा सकेगा।

6–सम्पत्ति आवंटन–प्रक्रिया

6.1 परिषद/शासन आदेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

6.3 आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6.4 पात्रता चयन के एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें पात्रता चयन हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। अन्यथा

की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

6.5 सम्पत्ति के विरूद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों को सामान्य श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणीवार पृथक–पृथक करते हुए पृथक–पृथक सूची तैयार की जायेगी।

6.6 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

6.7 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

6.8 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद बेवसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।

मण्डोला विहार योजना गायिजाबाद

मेरठ जोन

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-21 में MSME योजना के अन्तर्गत MSME उद्योग हेतु गैर प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित करने हेतु विभिन्न प्रकार के भूखण्डों का विवरण

क्र0सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में)	भूखण्डों की संख्या	मानक भूखण्ड का मूल्य (रू0 लाख में)	पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य (रू0 लाख में)	कार्नर भूखण्ड का मूल्य (रू0 लाख में)	कार्नर एवं पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य (रू0 लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख में) सामान्य श्रेणी (10 प्रतिशत)	पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख में) आरक्षण श्रेणी (5 प्रतिशत)	आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष से 4 त्रैमासिक किश्तों में जमा की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि जिसमें पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए देय त्रैमासिक किश्त की धनराशि — सामान्य श्रेणी (50 प्रतिशत)				आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष से 4 त्रैमासिक किश्तों में जमा की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि जिसमें पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए देय त्रैमासिक किश्त की धनराशि — आरक्षण श्रेणी (50 प्रतिशत)				अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि आगामी 5 वर्षो में 10 छमाही किश्तों में 11 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित देय होगी (रू0 लाख में)			
											(रू0 लाख में) मानक	(रू0 लाख में) पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य	(रू0 लाख में) कार्नर	(रू0 लाख में) कार्नर एवं पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य	(रू0 लाख में) मानक	(रू0 लाख में) पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य	(रू0 लाख में) कार्नर	(रू0 लाख में) कार्नर एवं पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य	मानक	पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य	कार्नर	कार्नर एवं पार्क/ग्रीन बेल्ट फेंसिग भूखण्ड का मूल्य
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद	औद्योगिक भूखण्ड	300.00	68	138.60	145.53	152.46	159.39	13.86	6.93	13.86	14.73	15.59	16.46	15.59	16.46	17.33	18.19	9.19	9.65	10.11	10.57
2			450.00	54	207.90	218.30	228.69	239.09	20.79	10.40	20.79	22.09	23.39	24.69	23.39	24.69	25.99	27.29	13.80	14.48	15.17	15.86

विशेष नोट– 1– योजना में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखण्डों के क्षेत्र में विकास कार्य कराये जाने के उपरान्त कार्नर इत्यादि के भूखण्डों की पार्क/ग्रीनबेल्ट फेसिंग स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के आधार पर भूखण्डों के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जायेगा।

2– मानक भूखण्ड लागत में 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क सम्मिलित है।

3– भूखण्डों के कार्नर होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क सम्मिलित है।

4– पार्क/ग्रीनबेल्ट फेसिंग होने की दशा में 5 प्रतिशत पार्क/ग्रीनबेल्ट फेसिंग शुल्क सम्मिलित है।

5– कार्नर एवं पार्क/ग्रीनबेल्ट फेसिंग होने की स्थिति में 15 प्रतिशत शुल्क सम्मिलित है।

आरक्षण :–

क्र. स.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21%	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2%	------------तदैव--------------
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	------------तदैव--------------
	हॉरिजेन्टल आरक्षण		
4	मा0 विधायक / सांसद / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5%	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5%	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2%	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी, अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
7	भूतपूर्व / वर्तमान सैनिक एवं भूतपूर्व / वर्तमान केन्द्रीय सुरक्षा बल व उनके आश्रित	3%	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी / प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	5%	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10%	हाईस्कूल प्रमाण पत्र / सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र / पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट :–उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेगें लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा। दिव्यांग कोटे के अर्न्तगत चयनित लाभार्थी को ही शासनादेश में प्राविधानित छूट की सुविधा प्रदान की जाएगी।

7–श्रेणी

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों में से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जायेगें। उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदको की जमा पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।

9. भूखण्ड का भौतिक कब्जा।

9.1 भूखण्ड का भौतिक कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि व देय विविध शुल्क जमा कराने तथा शासनादेशों के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कराये जाने पर दिया जा सकेगा।

9.2 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवंटी के पक्ष में निष्पादित अनुबंध में उल्लिखित विवरण के अनुसार भौतिक कब्जा प्राप्त न करने पर विलम्ब शुल्क ₹100.00 प्रतिदिन की दर से देना होगा।

10. तथ्यों का छिपाना

10.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराषि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्ते

11.1 योजना गैर प्रदूषणकारी MSME में पंजीकृत उद्योग इकाई की है। अतः उक्त भूखण्डों में केवल गैर प्रदूषणकारी एवं MSME में पंजीकृत उद्योग इकाईयाँ ही स्थापित की जायेगी, अन्य कोई प्रयोजन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय–विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इंडमिनिटी बॉन्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

11.3 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हॉरिजेन्टल आरक्षण	**कोड**
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
भूतपूर्व/वर्तमान सैनिक/वर्तमान केन्द्रीय सुरक्षा बल व उनके आश्रित	R
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW
संस्था	S
भुगतान	**कोड**
नगद	01
किश्त	02
लिंग	**कोड**
स्त्री	F
पुरूष	M
अन्य	T

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन हेतु आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रो में प्रयोग किये गये है, जहॉ–जहॉ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगें :–

आवेदक का परिवारः–
इसमें स्वयं आवेदक/इच्छुक क्रेता, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित है।

पंजीकरण :–
इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रकिया से है, जिसके अर्न्तगत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्यः–
सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातिः–
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशार्न्तगत आने वाली जातियों से है।

आनलाइन आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

कमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं0
1	HDFC BANK	अभिषेक पाण्डेय	9910409843

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

(श्री पी0एस0 रावत)
सम्पत्ति प्रबन्धक
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद
मो0नं0–8189081113

(इं0 नीरज कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड बागपत–01, 02
मो0नं0–8795810195

(इं0 ए0के0 मित्तल)
अधीक्षण अभियन्ता
बागपत वृत्त
मो0न0– 8795810190

(श्री अनिल कुमार सिंह)
उप आवास आयुक्त
मेरठ जोन, मेरठ
मो0नं0–8189081006

आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

- पंजीकरण आवेदन शुल्क ₹1000/– (रुपये एक हजार मात्र) एवं 18 प्रतिशत जी०एस०टी० अतिरिक्त देय होगा, अर्थात कुल ₹1180/– ऑनलाइन जमा करना होगा।
- आन–लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट www.upavp.in के मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plots/Houses/Flats " पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा सम्बन्धित योजना की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढ़कर "Apply online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियॉ (Basic Informations) यथा–नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, पैन नम्बर, निवास–पता, आदि विवरण ऑनलाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसके अपने ऑनलाइन पंजीकरण से सम्बन्धित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Submit' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई–रसीद (e-Recipt) बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- आवेदन पत्र में अंकित लिंग (GENDER) कॉलम मे पुरूष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु 'HW' भरें। संस्था की स्थिति में 'S' भरें।
- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

उपरोक्तानुसार ऑन–लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:–

- Visit website **www.upavp.in** & click on link **"Online Registration of Plots'/houses/flats"**
- Click on concerning scheme's webpage link.
- Click **'Apply online'** link & provide basic details and property.
- Please verify the registration details and click **'Confirm'** button.
- Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/ Debit/Credit Card.**
- If applicant selected **'e-challan'** payment mode, then 'e-challan' will be generated.
- Take the printout of **'e-challan'** and pay registration fee at nearest **Bank's Branch.**

उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

पंजीकरण –घोषणा
(Declaration)

आवेदक का एकल फोटो अथवा संयुक्त रूप से पति पत्नी

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो (हस्ताक्षर इस प्रकार किया जायेकि आधा फोटो के ऊपर व आधा फार्म पर हों।)

घोषणा (Declaration)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं और न ही इसका कोई भाग असत्य है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैनें योजना हेतु पुस्तिका में उल्लिखित समस्त नियम व शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इस बात से सहमत हूँ कि यदि उक्त नियम व शर्तों का उल्लंघन/मिथ्या पाया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को आवेदन पत्र/आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

I hereby declare that the above information is true & best of my knowledge & nothing has been concealed and no part of it is false. I further declare that I have carefully read and understood the terms & conditions of the scheme and do hereby agree to abide by the same. U.P Housing & Development Board has full right to cancel my application & allotment in case of false information submitted by me.

विवरण (Details) A. फोटोयुक्त परिचय पत्र की प्रति

दिनांक ....

स्थान ....

पूर्ण पता ....

आवदेक के हस्ताक्षर

नामांकन/Nomination

आवेदक का एकल फोटो
अथवा
संयुक्त रूप से पति–पत्नी
आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज फोटो
(हस्ताक्षर इस प्रकार किया
जायें कि आधाफोटो के ऊपर
व आधा फार्म पर हों)

मैं..यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती..जो रिश्ते में मेरे/मेरी... ....है को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता/करती हूँ।

दिनांक..

स्थान..

आवेदक के हस्ताक्षर

पूर्ण पता....................................

....

....

सम्पर्क सूत्र :–

परिषद ई–मेल : jsk@upavp.com

बेबसाईट : www.upavp.in

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों हेतु

जन–सुविधा केन्द्र की स्थापना की है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

☏ डायल करें:

1800–180–5333 (टोल फ्री)
0522–2236803

IS 15700:2018
सेवोत्तम प्रमाणित

हमारा प्रयास, आपका आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com
Toll Free No.: 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक उपलब्ध है।